FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

सुबेसिंह पुत्र श्री चन्दर जाति अहिर निवासी ग्राम दौलतसिंहपुरा तह0 नीमराना

बनाम

अजय कुमार पुत्र श्री भूपसिंह जाति अहिर निवासी ग्राम दौलतसिंहपुरा तह0 नीमराना

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

न0 305 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	21.11.2022 आज यह प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 के अन्तर्गत पेश किया रिपोर्ट सरिस्ते हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित, वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतित होती है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 433/0.15, 434/0.33, 435/0.41,436,0.10वाके ग्राम दौलतसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान के मौका एवं रिकॉर्ड यथास्थिति बनाये रखेगे इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। वकील प्रार्थी इस अमर का टी0आई0 तलबाना रजिस्ट्रड ए0डी0 पेश करे आदेश 39 नियम 03 जा.दी. की पालना हो। अप्रार्थीगण जरिए रजिस्ट्रर्ड ए0डी0 तलब हो बाद तलबी पत्रावली दिनांक 28.12.2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) 28-12-22 [illegible] पत्रावली पेश हुई। [illegible] स्थगित पीठासीन अधिकारी [illegible] मिति [illegible] पधार [illegible] उक्त [illegible] 22-3-23 को पेश हो।	

22-3-23 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13.9.23 को पेश हो।

रीडर

13-9-23 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20.11.23 को पेश हो।

रीडर

20-11-23 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 5.2.24 को पेश हो।

रीडर

5-2-24 आज पत्रावली पेश हुई।
पत्रावली में मूल वाद आदेश
[illegible] पत्रावली के पारित
हो चुका है। अतः [illegible]
में आदेश [illegible] पत्रावली
में पारित किया जा रहा है। पत्रा०
[illegible] कुमार [illegible] से
[illegible] को [illegible] संलग्न कर
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)